गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की और आयकर की बकाया रकम के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मेसर्स विदर्भ पेपर मिल्स लिमिटेड, नागपुर, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में एक पंजीकृत कम्पनी है और इसके पंजीकरण की तारीख 6-6-1961 है। कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किये गये पूंजी निवेश का पता चलता है, उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार नीचे दर्शाया गया है :—

निम्नलिखित अवधि को समाप्त तुलन-पत्र	चुकता पूंजी (लाख रुपयों में)
30-6-1963 (दूसरी वार्षिक रिपोर्ट)	7.10
30-6-1964 . .	9.06
30-6-1967 . .	9.82
30-6-1968 से 30-6-1973 तक	12.82
30-6-1974 . .	13.00
30-6-1975 . .	12.84

बम्बई पल्प एण्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की बकाया राशि

9699. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई पल्प एण्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 109, शेखर मेनन स्ट्रीट, बम्बई ने उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क (अलग-अलग) की कितनी राशि का भुगतान किया और उनके विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म के आरम्भ होने से वर्षवार इसमें कितनी पूंजी लगाई गई और इसके कितने भागीदार हैं और वे अन्य कितने उद्योगों तथा व्यापार में भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी है और गत तीन वर्षों का कितना आयकर उन पर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्ताओं/निर्यातकर्ताओं के संबंध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के संबंध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक सीमा शुल्क की बकाया रकम का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए केन्द्रीय शुल्क और कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर की बकाया रकमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बम्बई पल्प एण्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत एक कम्पनी है, जिसका पंजीकरण 23 मई, 1975 को हुआ था।

कम्पनी की चुकता पूंजी जिससे कम्पनी में लगायी गयी पूंजी का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध कम्पनी के तुलन-पत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 1976 को 14,68,000 रुपये थी।

Baggage Rules for Indians working in Persian Gulf and Arab countries

9700. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) what are the main features of the existing baggage rules and what are the changes in the new rules;

(b) whether the Government are aware of the fact that large number of people from India who are now working in the Persian Gulf and Arab countries find the present baggage rules too rigid and harassing;

(c) considering the fact that these Indians are earning for the country valuable foreign exchange in abundant quantity whether Government propose to take measures to treat them on a different footing by giving them some concessions;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Baggage rules applicable to different categories of passengers were revised with effect from 16-5-1978. A copy each of the Baggage Rules, 1978, The